**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2703**
**दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए**

**मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी**

**2703. श्री अशोक कुमार रावत:**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) युवाओं में मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और उपरोक्त कदमों के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;**

**(ख) क्या सरकार ने मादक पदार्थों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों या समूहों की पहचान करने और उनके प्रत्यर्पण के लिए कोई उपाय किए हैं; और**

**(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री नित्यानंद राय)**

(क): सरकार ने युवाओं सहित नागरिकों में मादक पदार्थों के खतरे के बारे में लोक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (मानस) - कॉल, एसएमएस, चैटबॉट, ईमेल या वेब के माध्यम से मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की सूचना देने के लिए एक 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1933) स्थापित की गई है।

(ii) नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446 संचालित किया गया है, ताकि मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

(iii) मादक पदार्थों की मांग को कम करने के लिए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मिशन 'स्पंदन' शुरू किया है। आध्यात्मिक जागरूकता और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और स्वापक पदार्थों की लत का मुकाबला करने के लिए 05 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आध्यात्मिक संगठनों के साथ सहयोग के बाद, कुल 25,647 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में 3,47,18,980 प्रतिभागियों को जागरूक बनाया गया है।

(iv) हर साल, 26 जून को मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा दिनांक 12-26 जून के दौरान मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए, नशा मुक्त भारत पखवाड़ा आयोजित किया जाता है। आयोजनों में रैलियां, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा वीडियो संदेश और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के माध्यम से एसएमएस अलर्ट शामिल हैं। वर्ष 2025 के पखवाड़े के दौरान, 630 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 32,90,256 प्रतिभागियों को जागरूक बनाया गया है।

(v) देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया है। इसने 8.7 करोड़ युवाओं और 6 करोड़ महिलाओं सहित 24.9 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई है।

(vi) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों में मादक पदार्थों के सेवन के विरूद्ध जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए दिनांक 03.09.2025 को, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। सीबीएसई ने देश भर में लगभग 140 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों की एक सूची साझा की है और नवंबर 2025 तक, 55 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(vii) मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए, राज्यों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय से एनसीबी ने "जीवन के लिए हां, ड्रग्स के लिए ना" शीर्षक के साथ एक ई-प्रतिज्ञा बनाई, जिसे https://pledge.mygov.in वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों से दूर रहने का संदेश फैलाना है। अब तक 61 लाख नागरिकों ने ई-शपथ ली है।

(viii) एनसीबी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के साथ पारस्परिक समन्वय से बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से दूर करने और स्कूलों, कॉलेजों एवं बाल देखभाल संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए

"मादक पदार्थों और मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी की रोकथाम" पर एक संयुक्त कार्य योजना (जेएपी) शुरू की है। इसके अलावा, मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रभावों और अन्य रोकथाम उपायों के संबंध में जानकारी फैलाने के लिए, स्कूलों/कॉलेजों में 8,65,510 प्रहरी क्लब भी स्थापित किए गए हैं।

(ix) युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न राज्यों में रैली, पेंटिंग, पर्चे का वितरण, पोस्टर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, रेडियो कार्यक्रम और कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों में जागरूकता अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(ख) और (ग): सरकार ने मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी से जुड़े व्यक्तियों और समूहों की पहचान और प्रत्यर्पण के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

(i) भारत ने 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां की हैं और 12 अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था स्थापित की है। सरकार विदेशी अधिकार क्षेत्रों से मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी में शामिल लोगों सहित अपराधियों के आत्मसमर्पण की सुविधा के लिए इन संधियों और व्यवस्थाओं के प्रावधान का उपयोग करती है।

(ii) सरकार नियमित रूप से भागीदार देशों के साथ काउंटर-नारकोटिक्स पर संयुक्त कार्य समूहों में प्रत्यर्पण के मामले उठाती है।

(iii) मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा दर्ज मामलों में वांछित तथा इस समय विदेशों में रह रहे शीर्ष नारकोटिक्स अपराधियों की पहचान करने, उनका पता लगाने तथा उनके निर्वासन या प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए डार्कनेट क्रिप्टो-मुद्राओं और कूरियर (डीसीसी) पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

(iv) सरकार मादक पदार्थों के अपराधियों पर खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और उनके प्रत्यर्पण या निर्वासन के लिए इंटरपोल तथा द्विपक्षीय चैनलों का इस्तेमाल करती है।

(v) भारतपोल के प्रभावी उपयोग ने इंटरपोल नोटिस जारी करने में काफी वृद्धि की है। अकेले वर्ष 2025 में ही 22 ब्लू नोटिस और 14 रेड नोटिस प्रकाशित किए गए हैं।

*****